(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 42 / 2024 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 20.06.2024

रामलाल पुत्र लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. कानाराम पुत्र सुवाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
2. रमेश पुत्र सुवाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
3. लाडा देवी पत्नि सुवाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
4. सीताराम पुत्र सुवाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
5. हरिनारायण पुत्र सुवाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
6. कमला देवी पत्नि श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
7. गोपाल पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
8. प्रभू देवी पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
9. प्रेम देवी पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
10. भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
11. मदनलाल पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
12. मोहन पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
13. सन्तोष पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
14. सुगना देवी पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
15. सायर पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम परवण तहसील फागी जिला दूदू राज०।
16. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज०

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सुर्यप्रकाश शर्मा
श्री भगवान सिंह राजावत } वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक:–20.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी सं0 171 के आराजी खसरा नम्बर 422 / 8 रकबा 2.0232 है0 भूमि वाके ग्राम परवण तहसील फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

(2)

जिला जयपुर में स्थित आराजी के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने अपनी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/एल0आर/2022/2364 दिनांक 30.06.2022 की पालना मे दिनांक 07.06.2023 को पटवार हल्का परवण ने खसरा नम्बर 422/4 व 422/8 का सीमाज्ञान करवाया। सीमाज्ञान विधिवत पूर्ण कर फर्द मौका पर उपस्थित मौतवीरान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी मुताबिक सीमाज्ञान अपने खातेदारी भूमि पर काबिज है फिर भी अप्रार्थीगण आये दिन सीमाज्ञान को अनदेखा कर सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न करने लगे तथा अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान मे कायम किये गये निशानात को मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्याबल में प्रार्थी से अधिक है तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न व राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नही चाहते है कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। अप्रार्थीगण विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नही मानते एवं प्रार्थी की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी है। तहसीलदार फागी के समक्ष दिनांक 30.06.2022 को आवेदन पर आदेश क्रमांक/एल0आर0/2022/2364 की पालना में पटवारी हल्का परवण ने विधिवत रूप से सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2023 को कर एवं प्रार्थी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान निशानात कायम किये। पटवारी हल्का परवण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कायम निशानात को अप्रार्थीगण नही मानते तथा अपने प्रभाव व संख्या बल से प्रार्थी से आये दिन मेर कोर को लेकर लडाई – झगडा करते है तथा प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी से विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2023 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 16 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 16 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.....3

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 07.06.2023 किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम परवण में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2074—2077 वाके ग्राम परवण के खाता संख्या 171 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 07.06.2022 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। पटवारी हल्का द्वारा कायम निशानात को अप्रार्थीगण नही मानते तथा संख्याबल मे अधिक होने से मेर कोर को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाएं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 422/8 वाके ग्राम परवण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडोसी खातेदारान को नोटिस जारी कर पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू